

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

किमिनल अपील (डी० बी०) सं०-17 वर्ष 2019

मनीष निरिल धान अपीलार्थी

बनाम्

झारखण्ड राज्य प्रतिवादी

के साथ

किमिनल अपील (डी० बी०) सं०-227 वर्ष 2018

मनीष धान अपीलार्थी

बनाम्

झारखण्ड राज्य प्रतिवादी

कोरम : माननीय न्यायमूर्ति श्री एच०सी० मिश्रा

माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी

अपीलार्थी के लिए :- श्री अरुण कुमार, अधिवक्ता।

प्रतिवादी राज्य के लिए :- अ०लो०अभि०।

06/30.04.2019 किमिनल अपील (डी०बी०) सं० 17 वर्ष 2019 में दिनांक 02.04.2019 को पारित आदेश के अनुसरण में जेल अधीक्षक, बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल, होटवार, राँची से आवश्यक रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें बताया गया कि इस अपीलकर्ता मनीष निरी धान उर्फ मनीष धान की मृत्यु 19.03.2019 को इलाज के दौरान हुई है, जब वह हिरासत में था।

संबंधित जेल से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार इन दोनों अपीलों के एकमात्र अपीलकर्ता की मृत्यु हो गई, इन दोनों अपीलों को समाप्त कर दिया गया और उसी के अनुसार निपटाया गया।

उपरोक्त इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन भी खारिज हो जाता है।

ह0

(एच0सी0 मिश्रा, न्याया0)

ह0

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)